Title: Need to stop reservation benefits to ST people who converted to other religions

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): पूरे देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति तथा अनुच्छेद 342 में जनजाति की सूची में जोड़ने या हटाने का उल्लेख है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्हे मिलने वाले हित लाभ समाप्त हो जाते हैं चूंकि भगवान बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म अपनाया था इसलिए जनजाति वर्ग के धर्म परिवर्तन से उनको मिलने वाले हितलाभ समाप्त नहीं होते परिणामस्वरूप सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति लोभ-लालच में धर्मपरिवर्तन कर अपनी मूल संस्कृति, रीतिरिवाज और देश से कटते जा रहे हैं । धर्मांतरण की आड़ में मूल जनजाति की बहन बेटियों से विवाह कर उनकी संपत्ति क्रय कर उन्हें भूमिहीन बनाया जा रहा है और वे आरक्षित वर्ग से पंच से लेकर राजनीतिक पदो एवम शासकीय सेवाओं में आसीन हो रहे है। अनुसूचित जनजाति के संगठनों की मांग है कि धर्मान्तरित व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाये । संविधान में कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है वे किसी भी उपासना पद्धति को अपनाएं पर धर्मपरिवर्तन के बाद उन्हें जनजाति वर्ग को शासन से मिलने वाले हितलाभ न दिये जाये ताकि जो व्यक्ति मूल संस्कृति, रीति रिवाज का पालन करता है उनके अधिकारों का हनन न हो ।